

मजलिस-ए-शूरा का महत्व
और मेम्बरान-ए-शूरा
तथा जमाअती ओहदेदारों
की ज़िम्मेदारियां



हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब
खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़

मजलिस-ए-शूरा का महत्व
और मेम्बरान-ए-शूरा
तथा जमाअती ओहदेदारों
की ज़िम्मेदारियां



नाम पुस्तक	मज्लिस-ए-शूरा का महत्त्व और शूरा के सदस्यों तथा जमाअती ओहदेदारों की जिम्मेदारियां
खुल्बा जुमा	सय्यदना हजरत मिर्जा मसरूर अहमद साहिब खलीफतुल मसीह अलखामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अजीज़
अनुवादक	इब्नुल मेहदी लईक (मुरब्बी-ए-सिलसिला, M.A. Hindi)
प्रथम संस्करण	दिसम्बर 2023 ई०
द्वितीय संस्करण	दिसम्बर 2024 ई०
संख्या	1000
प्रकाशक	नज़ारत नश्र-व-इशाअत, क़ादियान, 143516 ज़िला-गुरदासपुर (पंजाब)
मुद्रक	फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस, क़ादियान, 143516 ज़िला-गुरदासपुर (पंजाब)

Name of book	Majlis Shoora ka mahatv aur shoora ke sadasyon tatha jmaati ohdedaron ki zimmedariyan
Friday Sermon	Hazrat Mirza Masroor Ahmad sahib Khalifatul Masih Al-Khamis ABA
Translator	Ibnul Mehdi Laeque (M.A. Hindi Murabbi-e-Silsila)
1st Edition	December 2023
2nd Edition	December 2024
Quantity	1000
Publisher	Nazarat Nashr-o-Isha'at, Qadian, 143516 Distt. Gurdaspur, (Punjab)
Printed at	Fazl-e-Umar Printing Press, Qadian 143516 Distt. Gurdaspur (Punjab)

**खुत्बा जुमा सय्यदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन
खलीफ़तुल मसीह अलखामिस अय्यदहुल्लाहो तआला
बिनस्त्रिहिल अज़ीज़, 12 मई 2023 ई.**

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1	मेंबरान की कुछ जिम्मेदारियाँ मज्लिस-ए-शूरा की सिफ़ारिशों और खलीफ़-ए-वक़्त के उन पर फ़ैसले के बाद ही शुरू होती हैं और उन पर व्यावहारिक रूप से अमल करना और करवाना शूरा के प्रत्येक मेंबर का कर्तव्य है।	7
2	जिनके सपुर्द आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के काम को आगे बढ़ाना है और फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी के अनुसार आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की गुलामी में आने वाले मसीह मौऊद और महदी मौऊद के मिशन को पूरा करना है उनका भी यह काम है कि मुहब्बत, प्यार और नरमी से काम करें।	8
3	मज्लिस-ए-शूरा मशवरा देने वाली मज्लिस है फ़ैसला करने वाली नहीं।	8
4	खलीफ़-ए-वक़्त भी अल्लाह तआला के आदेश और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार दुनिया में फैली हुई जमाअतों से वहां की परिस्थितियों के अनुसार मशवरे लेता है।	9

5	हज़रत अबू हुदैरा रज़ियल्लाहु अन्हो वर्णन करते हैं कि मैंने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को अपने सहाबा से मश्वरा लेने वाला नहीं पाया।	12
6	जहां-जहां हमारे शूरा के मेंबरान हैं उनको भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहां वह मश्वरा देते हैं तो सबसे पहले अपने आपको इस बात के लिए तैयार करें कि हमने इन मश्वरों पर मंजूरी के फ़ैसले के बाद अमल करना है या जो भी ख़लीफ़-ए-वक़्त फ़ैसला करेंगे सबसे पहले हमने उस पर अमल करने के लिए हर कुर्बानी देनी है।	14
7	मश्वरा देने वालों को हमेशा याद रखना चाहिए (कि उनके मश्वरे नेक नीयती और तक़््वा (संयम के उच्च स्तरों के अनुसार होने चाहिए)।	15
8	हमेशा याद रखना चाहिए कि मज्लिस-ए-शूरा ख़िलाफ़त का सहायक विभाग है और इस लिहाज़ से जमाअत में ख़िलाफ़त के बाद इसका बहुत महत्व है।	17
9	जहां दृढ़ योजना बनाने की ज़रूरत है वहां व्या-वहारिक प्रयास की ज़रूरत है, अपनी इबादतों के उच्च स्तरों को प्राप्त करने की आवश्यकता है	20

10	अपने व्यावहारिक उदाहरण, लोगों से प्रेम का संबंध, उनसे सहानुभूति करना, उनके लिए भी और अपने लिए भी दुआ करना, खलीफ़-ए-वक़्त के आज्ञापालन के स्तरों को बढ़ाना हर ओहदेदार और शूरा के प्रत्येक मੈंबर की विशेषता होगी तो तभी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हम समस्त जमाअत में उत्पन्न होता देखेंगे	24
11	दुनिया में, समस्त देशों में शूरा इसलिए आयोजित की जाती है कि जहां हम अपनी अमली हालतों को दुरुस्त करने के लिए योजना बनाएँ वहां एक ख़ुदा का संदेश पहुंचाने के लिए और दुनिया को एक उम्मत बनाने के लिए, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे लाने के लिए ऐसी योजना बनाएँ जो एक क्रांति उत्पन्न करने वाली हो।	24
12	हमारे चंदों की आमद की ऐसी उत्तम योजना बनानी चाहिए। जिससे हम कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के प्रचार और तब्लीग़ के काम को कर सकें	25

ख़ुत्ब: जुमअ: सय्यदना अमीरुल मो 'मिनीन
हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस
अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़,
दिनांक 12 मई 2023 ई.
स्थान: मस्जिद मुबारक इस्लामाबाद, टिलफोर्ड, सिर्रे (यू.के)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ○ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ
الْمُبْغُضُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
(आले इमरान : 160)

आयत का अनुवाद है :- अतः अल्लाह की विशेष कृपा के कारण
से तू उनके प्रति नरम हो गया और यदि तू क्रोध स्वभाव (और) कठोर
हृदयी होता तो वे अवश्य तेरे पास से दूर भाग जाते। अतः उन्हें माफ
कर और उन के लिए क्षमा की दुआ कर और (हर एक) ज़रूरी मामले

में उनसे परामर्श कर। अतः जब तू (कोई) निर्णय कर ले तो फिर अल्लाह ही पर भरोसा कर। निस्संदेह अल्लाह भरोसा करने वालों से प्रेम करता है।

इन दिनों में विभिन्न देशों में जमाअती मज्लिस-ए-शूरा आयोजित हो रही हैं। कुछ देशों में हो चुकी हैं, कुछ में इस हफ्ते हैं और कुछ आने वाले हफ्ते में होंगी। जर्मनी की आज शुरू हो रही है। इसके साथ ही और बहुत से देश हैं। इसी तरह यू.के. की मज्लिस-ए-शूरा अगले हफ्ते है और उसके साथ और भी देश सम्मिलित हैं।

शूरा का महत्व और नुमाइंदों की ज़िम्मेदारियों के बारे में मैं पहले भी ख़ुतबात में तवज्जा दिला चुका हूँ लेकिन उसको क्योंकि अब कुछ साल गुज़र चुके हैं इसलिए मैंने उचित समझा कि आज फिर इस बारे में अल्लाह तआला के आदेश, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आदर्श और जमाअती रिवायतों और तरीक़ के अनुसार कुछ कहूँ। जहां शूरा की मज्लिसें आयोजित हो भी चुकी हैं वहां के शूरा के नुमाइंदे भी इन बातों से फ़ायदा उठा सकते हैं जो शूरा के मेम्बरों की ज़िम्मेदारियों के बारे में हैं और शूरा के मेम्बरों को याद रखनी चाहिए क्योंकि मेम्बरान की कुछ ज़िम्मेदारियाँ मज्लिस-ए-शूरा की सिफ़ारिशों और ख़लीफ़-ए-वक़्त के उन पर फ़ैसले के बाद ही शुरू होती हैं और उन पर व्यावहारिक रूप से अमल करना और करवाना प्रत्येक शूरा के मेम्बर का कर्तव्य है।

बहरहाल इन ज़िम्मेदारियों की ओर ध्यान दिलाने से पहले यह आयत जो मैंने तिलावत की है इस की रोशनी में कुछ बातें करूँगा और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का आदर्श और आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का तरीक़ वर्णन करूँगा। इस आयत

में जहाँ इस बात का वर्णन किया गया है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला की खास रहमत से अपनी उम्मत के लोगों के लिए अत्यंत नर्म-दिल रखने वाले थे वहाँ इस बात की तरफ़ भी अल्लाह तआला ने हमें तवज्जा दिलाई और हिदायत फ़रमाई कि जिनके सपुर्द आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के काम को आगे बढ़ाना है और फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणियों के अनुसार आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की गुलामी में आने वाले मसीह मौऊद और महेदी मौऊद के मिशन को पूरा करना है उनका भी यह काम है कि मुहब्बत, प्यार और नरमी से काम करें।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि अगर नरमी न दिखाई और क्रुद्ध स्वभाव दिखाया और गुस्सा में आने वाला हुआ तो ये लोग दूर हो जाएंगे। अतः अल्लाह तआला क्षमा करने और बख़शिश की दुआ करने का हुक्म फ़रमाता है और फिर साथ ही मश्वरा करने का भी आदेश दिया है।

अतः इस सिद्धान्त और शिक्षा के आधार पर मज्लिस-ए-शूरा आयोजित की जाती हैं लेकिन जैसा कि नाम से स्पष्ट है यह मश्वरा देने वाली मज्लिस है, फ़ैसला करने वाली नहीं।

इसलिए फ़रमाया कि मश्वरों के बाद जो फ़ैसला तू करे उस पर अल्लाह तआला पर भरोसा करते हुए अमल कर और जब अल्लाह तआला पर भरोसा होगा तो फिर अल्लाह तआला उसके परिणाम भी असीम बरकतों वाले निकालेगा। भरोसे की सर्वोत्तम उदाहरण तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के अस्तित्व में हमें दिखाई देती है।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को तो बहुत से मामलों में अल्लाह तआला की तरफ़ से सीधे तौर पर मार्गदर्शन प्राप्त था लेकिन विशेष रूप से इन मामलों में आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ज़रूरी ज़रूरी परामर्श मांगा करते थे जहां अल्लाह तआला का कोई स्पष्ट आदेश न होता था। और आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का यह अमल और अल्लाह तआला का यह हुक्म हमें बताने के लिए है कि जमाअती ओहदेदारों का जमाअत के लोगो के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और हमें आपसी मश्वरे से काम करना चाहिए।



अल्लाह तआला का यह उपकार है कि जमाअत अहमदिया को अल्लाह तआला ने खिलाफ़त का वरदान दिया है इसलिए ख़लीफ़-ए-वक़्त भी अल्लाह तआला के आदेश और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार दुनिया में फैली हुई जमाअतों से वहां की परिस्थितियों के अनुसार मश्वरे लेता है।

इस बात में कोई संदेह नहीं कि यदि अल्लाह तआला चाहता तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का हर मामले में मार्गदर्शन

कर देता लेकिन आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को कुछ मामलों में मश्वरे का हुक्म देकर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का कुछ मामलों में मश्वरा लेना हक़ीक़त में हमें सही रास्ते पर चलाने और आपसी सहयोग और मश्वरे से काम करने की ओर मार्गदर्शन के लिए है और उम्मत में एकता उत्पन्न करने के लिए है। इस बारे में एक हदीस से इस का स्पष्टीकरण होता है : हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत करते हैं कि जब **شَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ** की आयत नाज़िल हुई तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यद्यपि अल्लाह और उस का रसूल इस से पृथक हैं लेकिन अल्लाह तआला ने इसे मेरी उम्मत के लिए रहमत का कारण बनाया है। अतः उनमें से जो मश्वरा करेगा वह सही मार्गदर्शन से वंचित नहीं रहेगा और जो मश्वरा नहीं करेगा वह अपमान से नहीं बच सकेगा।

(अल-जामे लिशोअबिल ईमान, भाग 10 पृष्ठ 41 हदीस 7136 प्रकाशन मक्तबा रुशद नाशेरून रियाज़ 2003 ई.)

अतः आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तो उन मश्वरों से निःस्पृह थे और हैं लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने मश्वरे लिए ताकि उम्मत के सामने वह उदाहरण स्थापित कर दें जिससे उम्मत हमेशा अल्लाह तआला की रहमत से भाग लेती रहे और हमेशा वास्तविक मार्गदर्शन के रास्तों पर चलती रहे और अपमान से बचती रहे।

यह अल्लाह तआला का हम पर विशेष उपकार है कि हमारे अंदर शूरा का निज़ाम जारी है। अतः उसकी हर अहमदी को सामान्य रूप से और हर शूरा मैम्बर को विशेष रूप से क्रदर करते हुए अल्लाह

तआला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उसने हमारे लिए मार्गदर्शन का साधन उत्पन्न कर दिया है।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने किन अवसरों पर मश्वरे लिए और आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के मश्वरे का क्या तरीक़ था इस बारे में हमें इतिहास से जो पता चलता है वह कुछ वर्णन करता हूँ। यही तरीक़ ख़ुलफ़ाए राशिदीन ने भी जारी रखा और फिर इस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी इसी पर अमल किया।

सामान्यतया मश्वरा लेने के लिए तीन तरीक़ हमें दिखाई देते हैं। एक यह तरीक़ था

कि जब मश्वरे के योग्य कोई मामला होता तो एक व्यक्ति घोषणा करता कि लोग एकत्र हो जाएं और लोग एकत्र हो जाते और फिर जो राय होती, जो मश्वरा होता उस पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम या ख़लीफ़ा फ़ैसला कर देते कि इन मश्वरों के बाद हमारा यह फ़ैसला है, इस तरह इस पर अमल होगा। उस ज़माने में क्योंकि सरदारी व्यवस्था चलती थी इसलिए सामान्य रूप से चाहे क़बीले के बहुत सारे लोग एकत्र हो जाते थे लेकिन राय सरदार या अमीर ही देते थे। उनका एक नुमाइंदा होता था। और लोग इस बात पर प्रसंतापूर्वक राज़ी होते थे कि हमारा सरदार या अमीर हमारी नुमाइंदगी में राय दे। बल्कि उस वक़्त के रिवाज के विपरीत यदि कोई जोश में अपनी राय देने की कोशिश भी करता तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फ़रमाते कि अपने सरदार या अमीर से कहो कि वह आगे आकर अपनी राय दे। तुम्हारी बात का इस तरह कोई महत्व नहीं है। अतः यह एक तरीका था।

दूसरा तरीका

यह था कि जिन लोगों को आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम मश्वरे के योग्य समझते उन्हें बुला लेते और सामान्य रूप से सबको न बुलाया जाता और फिर इन कुछ लोगों की मज्लिस से मश्वरा लिया जाता।

तीसरा तरीका

यह था कि जहां आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम समझते कि दो आदमी भी इकट्ठे जमा नहीं होने चाहिए वहां आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अलग-अलग बुला कर मश्वरा लेते। पहले एक को बुला कर मश्वरा लेते फिर दूसरे को बुला कर मश्वरा लिया जाता। (खुतबाते शूरा, भाग प्रथम पृष्ठ 6-7 मज्लिस मुशावरत 1922 ई. से उद्धृत)

बहरहाल आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मश्वरा लेने के ये तीन तरीके थे और खुलफ़ाए राशिदीन ने भी इस के अनुसार ही मश्वरा लिया। जैसा कि वर्णन हो चुका है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह और उस का रसूल इन मश्वरों से निस्पृह हैं लेकिन इस के बावजूद हमें इतिहास से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने विभिन्न अवसरों पर मश्वरे लिए बल्कि आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम तो बहुत ज़्यादा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से मश्वरे लिया करते थे इसलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो वर्णन करते हैं कि मैंने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को अपने साहबा से मश्वरा लेने वाला न पाया। (सुनन अत्तिरमज़ी, अबवाब उल-जिहाद, बाब मा जाआ फ़िल्मशवरः, हदीस 1714)



और यह सब कुछ इसलिए था कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर अल्लाह तआला का नबी जिसको अल्लाह तआला का मार्गदर्शन सीधे तौर पर प्राप्त है, मश्वरा लेता है तो तुम लोगों को किस क्रम में मश्वरे के महत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मश्वरा लेने की एक घटना का वर्णन करता हूँ। एक रिवायत में वर्णन है : हज़रत मआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने जब मुझे यमन भिजवाने का फ़ैसला फ़रमाया तो हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने बहुत से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम् से मश्वरा मांगा। इन सहाबा में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो, उमर रज़ियल्लाहु अन्हो, उसमान रज़ियल्लाहु अन्हो, तलहा रज़ियल्लाहु अन्हो, जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हो और बहुत से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम् थे। हज़रत अबूबकर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा कि यदि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हम से मश्वरा न मांगते तो हम कोई बात न करते। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस पर फ़रमाया कि जिन बातों के बारे में मुझे वदह्यी नहीं होती उनके बारे में मैं तुम्हारी तरह ही होता हूँ।

जिन बातों के बारे में मुझे व्हयी नहीं होती उनके बारे में मैं तुम्हारी तरह ही होता हूँ। मआज़ रज़ियल्लाहु अन्हो बताते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इस आदेश के अनुसार कि मुझे मश्वरा दो, जब हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम राय ले रहे थे तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी-अपनी राय वर्णन की और इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मआज़ तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? तो मैंने कहा कि मेरी वही राय है जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो की है। (अल्मोज़मुल-कबीर तिबरानी, भाग 20 पृष्ठ 67 हदीस 124 प्रकाशन दारुल अह्या अल्तुरास् अरबी बेरूत)

तो आप से भी उन्होंने पूछा। अतः जहां आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का यह इज़हार अपनी सादगी और विनम्रता और मश्वरे के महत्व को प्रकट करता है वहां हमारे लिए सर्वोत्तम उदाहरण है कि हमें कितना अधिक मश्वरों को महत्व देना चाहिए और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु का उदाहरण हमें यह बताता है कि वह जब आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आदेश से मश्वरा देते थे तो फिर अपनी योग्यताओं और अनुभव के अनुसार तक्रवा पर चलते हुए मश्वरा दिया करते थे।

फिर मदीना हिज़्रत के बाद भी जब कुफ़्फ़ार-ए-मक्का ने मुस्लिमानों के अमन-ओ-सुकून को बर्बाद करने की कोशिश की तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इसके निवारण के लिए सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से मश्वरा लिया और अंसार के सरदारों को भी इस में सम्मिलित किया, मुहाजेरीन के सरदारों को भी शामिल किया और फिर मुहाजेरीन और अंसार के सरदारों के मश्वरे और रज़ामंदी से आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम बदर की तरफ़ रवाना हुए। और अंसार

के सरदारों ने इस मश्वरे के दौरान जो निष्ठा और न्याय का उदाहरण दिखाया और अहद किया इस पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अत्यंत प्रसन्नता और संतुष्टि का भी प्रदर्शन किया।

(सीरत ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम लेखक साहिबज़ादा हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब एम.ए, पृष्ठ 354-355 से उद्धृत)

इसलिए कि मश्वरा केवल मश्वरा की सीमा तक नहीं है बल्कि मश्वरा देने वालों का व्यवहार और रवैय्या और इस मश्वरे पर ख़ुद सबसे पहले अमल करने का अहद है।

यदि अमल करने का अहद नहीं और फिर वास्तव में इस पर अमल नहीं तो फिर मश्वरा बेफ़ायदा है। और हमने देखा कि किस तरह बदर के मैदान में निष्ठा तथा निश्छलता का व्यावहारिक प्रदर्शन फिर इन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया। जब मश्वरा दिया तो फिर अपनी जान की बाज़ी लगा दी। अतः जहां-जहां हमारे शूरा के मेंबरान हैं उनको भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहां वह मश्वरा देते हैं तो सबसे पहले अपने आपको इस बात के लिए तैयार करें कि हमने इन मश्वरों पर मंज़ूरी के फ़ैसले के बाद अमल करना है या जो भी ख़लीफ़-ए-वक़््त फ़ैसला करेंगे सबसे पहले हमने इस पर अमल करने के लिए हर कुर्बानी देनी है।

जब अपने व्यावहारिक आदर्श स्थापित होंगे तो फिर ही जमाअत के लोग भी ख़ुशी से इस पर अमल करने के लिए हर कुर्बानी के लिए अपने आपको पेश करेंगे। शूरा के मेंबरान को यह हमेशा सामने रखना चाहिए कि हर अहमदी का ख़िलाफ़त से वफ़ा और इताअत का अहद है तो उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ओहदेदारों और शूरा के

मैम्बरों को दिखाना चाहिए क्योंकि आप उस विभाग के मैम्बर बनाए गए हैं जो निज़ाम-ए-ख़िलाफ़त और निज़ाम-ए-जमाअत का सहायक है।

हमेशा याद रखें कि जहां यह आदेश ख़लीफ़-ए-वक़्त को है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हुए धर्म के महत्वपूर्ण कार्यों में उम्मत के लोगों से मश्वरा लो, इसी तरह नर्म-दिल रहने और दुआ का भी आदेश है। उन लोगों को भी यह आदेश है जिनसे यह मश्वरा लिया जाता है कि नेक नीयत हो कर तक्रवा पर चलते हुए मश्वरा दो। अतः मश्वरा देने वालों को हमेशा याद रखना चाहिए कि उनके मश्वरे नेक नीयती और तक्रवा के उच्च स्तरों के अनुसार होने चाहिए।

अतः इस रूप से मश्वरा देने वालों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वह जायज़ा लें कि उनका तक्रवा किस स्तर का है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो की एक रिवायत तो यहां तक स्पष्टीकरण करती है, आप रज़ियल्लाहु अन्हो ने फ़रमाया कि **شَاوِرُوا الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِينَ** (कंजुल् उम्माल, भाग 3 पृष्ठ 411 हदीस 7191 प्रकाशन मुअस्सिसा रिसाला बेरूत 1985 ई.)



अर्थात् समझदार और इबादतगुज़ार लोगों से मश्वरा करो हर एक से नहीं। अतः नुमाइंदों का यह स्तर है इस में उन लोगों के लिए भी नसीहत है जो शूरा के नुमाइंदे चुनते हैं कि अपने में से ऐसे लोग चुनें जो राय देने की योग्यता रखने वाले हैं, धार्मिक ज्ञान में बेहतर हैं और इबादत के स्तर भी अच्छे हैं।

जहां भी इस स्तर को सामने रखते हुए नुमाइंदे चुने जाते हैं इन नुमाइंदों की राय में मैं ने देखा है कि एक स्पष्ट अंतर नज़र आ रहा होता है। और यह ज़िम्मेदारी है इन नुमाइंदों की भी कि यदि सुधारणा रखते हुए जमाअत के लोगों ने किसी को शूरा का नुमाइंदा चुना है तो वह इस सुधारणा पर खरे उतरे। एक दिन में या कुछ हफ्तों में कोई ज्ञान के उच्च स्तरों और धर्म की गहराई को तो नहीं जान सकता, हासिल नहीं कर सकता लेकिन तक्रवा पर चलते हुए अपनी राय प्रत्येक प्रकार के लाभ से ऊपर उठ कर तो हर कोई दे सकता है। इसी तरह अल्लाह तआला के आगे झुकते हुए, उस से सहायता मांगते हुए, दुआ के साथ जहां-जहां शूरा आयोजित हो रही हैं वहां के नुमाइंदों को अपनी राय देनी चाहिए न कि किसी वक्ता के भाषण से प्रभावित हो कर और न ही किसी संबंध और दोस्ती का ख्याल रखते हुए अपनी राय को दूसरों की राय के साथ मिलाना चाहिए और न ही किसी भय या आदर-सम्मान के कारण से अपनी राय बदलनी चाहिए बल्कि तक्रवा सामने रखते हुए जमाअत के लाभ को हर बात पर प्राथमिकता देते हुए जब राय देंगे तो तभी वास्तव में वह अपनी नुमाइंदगी का हक़ अदा करने वाले बनेंगे।

हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह तआला हमारे दिलों के हाल भी जानता है और हमारे हर अमल को भी देख रहा है। यदि मैं

उस की रज़ा को सामने रखकर काम नहीं कर रहा तो कहीं अल्लाह तआला की नाराज़गी लेने वाला न बन जाऊं। इसी तरह जहां शूरा हो चुकी है वहां शूरा के मेंबरान अपना हक़ अब इस तरह अदा करें कि अपने व्यावहारिक उदाहरण हमेशा अपनी रुहानी (आध्यात्मिक) और अमली (व्यावहारिक) हालत पर नज़र रखते हुए गुज़ारने का अह्द करें और जो फ़ैसले हों या हुए हैं उन पर तक्रवा से चलते हुए अमल करने और करवाने की कोशिश करें।

जब हम यह हालत पैदा करेंगे तभी हम अल्लाह तआला की रहमत को समेटने वाले भी होंगे और हमारे फ़ैसलों में बरकत भी पड़ेगी अन्यथा हमारा इकट्ठा होना और अपनी राय के लिए ज़ोरदार भाषण देना इन दुनियावी असैंबलियों की तरह होगा जहां तक्रवा नहीं है और ऐसे फ़ैसले होते हैं जो कई बार शिष्टाचार को भी नष्ट करने वाले होते हैं और अल्लाह तआला के आदेशों के भी विरुद्ध होते हैं। अपनी पार्टी के उद्देश्यों को सामने रखा जाता है। कई बार जल्द ही ऐसे ग़लत फ़ैसलों के परिणाम भी निकल आते हैं जो अमन व शांति बर्बाद करने वाले होते हैं और कई बार देर से भी परिणाम निकलते हैं लेकिन बरकत उनमें कोई नहीं होती लेकिन बहरहाल ऐसे फ़ैसले जो अल्लाह तआला के क़ानून और आदेशों के विरुद्ध हों वह फिर आख़िर में क़ौमों की तबाही का कारण बनते हैं। अतः दुनियादारों की हालतों को देखकर भी हमें अपनी हालतों को बेहतर करने की ओर ध्यान देना चाहिए।

जैसा कि मैंने कहा शूरा के मेंबरों के मश्वरे ख़लीफ़-ए-वक़्त को पेश किए जाते हैं और ख़लीफ़-ए-वक़्त के कहने पर ही यह शूरा

बुलाई जाती है।

अतः हमेशा याद रखना चाहिए कि मज्लिस-ए-शूरा ख़िलाफ़त का सहायक विभाग है और इस रूप से जमाअत में ख़िलाफ़त के बाद इसका बहुत महत्व है और हर मੈंबर जो शूरा के लिए चयनित होता है वह एक साल के लिए मੈंबर होता है। उसे अपने इस महत्व को हमेशा सामने रखना चाहिए। शूरा के एजंडे और मश्वरे से ही ख़लीफ़-ए-वक़्त भी इन समस्याओं से अवगत होते हैं जो विभिन्न देशों में हैं और फिर जो राय आती हैं उनसे उन समस्याओं के निवारण का लाहे अमल भी सामने आ जाता है। कई बार कुछ बातें किसी समस्या के हल के बारे में पूरे विवरण सहित वर्णन नहीं होतीं या शूरा के मੈंबरों के सामने ही नहीं आतीं तो ख़लीफ़ा-ए-वक़्त इन बातों को भी लाहे अमल में सम्मिलित कर लेते हैं और कुछ जगह में भी यही तरीक़ा अपनाता हूँ। तो बहरहाल शूरा के प्रत्येक मेम्बर को इस बात का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए कि इस का एक विशेष महत्व है और यह महत्व केवल तीन दिन के लिए नहीं है अपितु सम्पूर्ण वर्ष के लिए है और जो भी लाहे अमल बनता है इस के पालन करवाने में और इंतेज़ामीया को इस के पालन के लिए पूर्ण रूप से सहयोग देने की हर शूरा के मੈंबर को कोशिश करनी चाहिए और यह उसकी ज़िम्मेदारी है और जब यह होगा तो तभी जमाअती तरक्की की योजनाएँ सही रास्ते पर उन्नत होंगी और उन का उत्तम ढंग से पालन हो सकेगा और हिदायत का जो मिशन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सपुर्द हुआ है हम इस में सहायक बन सकेंगे। यदि यह नहीं तो शूरा का मੈंबर होना बेफ़ायदा है।

यहां यह भी ज़िक्र कर दूं कि दुनिया के प्रत्येक देश में शूरा समान्यता वहां के अमीर की सदारत में आयोजित होती है और कई बार राय देने वाले जोशीले भाषण में ऐसे शब्द प्रयोग कर जाते हैं जो शूरा की गरिमा के विरुद्ध हैं। तो पहली बात तो यह है कि मेंबरान जब भी अपनी राय दें तो जोशीले भाषण देने की बजाय, सुधबुध से खाली हो कर भाषण देने की बजाय, भावुक भाषण देने की बजाय उचित शब्दों में अपनी राय दिया करें।

कई बार राय देने वाले ऐसी बातें कह जाते हैं जिनसे आमिला के मेंबरान या अमीर जमाअत जिनकी सदारत में शूरा हो रही होती है यह समझते हैं कि राय देने वाला किसी के द्वारा या स्वयं या सीधे रूप से हमारे विरुद्ध बात कर रहा है और फिर सदर-ए-मज्लिस होने की हैसियत से बोलने वाले को सख्त शब्दों में रोक दिया जाता है, झिड़क दिया जाता है। तो उमरा को भी हौसला दिखाना चाहिए। यह सुधारणा रखनी चाहिए कि कहने वाला जो कह रहा है वह जमाअत के लाभ के लिए और दर्द रखते हुए कह रहा है।

यदि कठोर शब्द प्रयोग किए हैं या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो शूरा की पवित्रता के विरुद्ध हैं तो नरमी से उसे टोक दें। ऐसा रवैय्या न अपनाया करें जिससे संदेह हो कि सदर मज्लिस ने इस बात को ज़ाती इज़ज़त का सवाल बना लिया है।

विशेष रूप से बजट के मामले में जब बेहस होती है तो ज़्यादा भावनाओं का प्रदर्शन हो जाता है और कुछ अधिकारों का भी प्रकटन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में भी संबंधित सैक्रेट्री को, सैक्रेट्री माल को और सदर मज्लिस को धैर्य से बात सुनकर उसका उत्तर देना चाहिए और संतुष्टि करवानी चाहिए कि किस तरह का बजट बना,

किस तरह आमद है, किस तरह उसके खर्चे हैं। इस को justify किस तरह किया जाता है। कहने वाला तो अपनी ओर से जमाअती लाभ को दृष्टिगत रखकर बात करता है इसलिए कुधारना नहीं होनी चाहिए। इसी तरह एजंडे के दूसरे प्रस्ताव हैं इस में कई बार अकारण की बेहस में इंतेज़ामिया भी और नुमाइंदे भी उलझ जाते हैं या फिर बिल्कुल ही ख़ामोश हो कर इस तरह हो जाते हैं जैसे इंतेज़ामिया का भय हो। ऐसे लोग भी अपनी अमानत का हक़ अदा नहीं करते।

अतः हमेशा याद रखें कि नुमाइंदों को लोगों ने इसलिए चुना है कि वह नुमाइंदगी का और अमानत का हक़ अदा करें।

इसलिए न ही ज़ातियात (निजी या व्यक्तिगत) का सवाल होना चाहिए, न किसी किस्म का भय होना चाहिए और हमेशा समझें कि लोगों ने हमें अल्लाह तआला के इस हुक्म के अनुसार चयनित किया है कि **تَوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا** (अन्निसा : 59) कि अमानतें उनके अहल (योग्य लोग) के सपुर्द करो और ख़लीफ़-ए-वक़्त भी यही समझता है कि जब लोगों ने नेक नीयती से अल्लाह तआला के इस आदेश के अनुसार अपने नुमाइंदे बनाए हैं तो फिर वह उसके अनुसार ही अपनी अमानतों का हक़ अदा कर रहे होंगे। और यदि नुमाइंदे अपना यह हक़ शूरा और बाद में भी अदा नहीं कर रहे तो न सिर्फ़ वह जमाअत के लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचा रहे हैं बल्कि ख़लीफ़-ए-वक़्त के साथ भी अपनी अमानत का हक़ अदा न कर के ख़ियानत करने वाले बन रहे हैं। लेकिन यहां एक और स्थिति भी हो सकती है। कुछ नुमाइंदे चुनने वालों ने भी तक्रवा से काम न लेते हुए नुमाइंदे चुने हैं। रिश्तेदारियों के संबंधों के कारण या

दोस्तियों का ख्याल रखते हुए चयनित किए हों।

बहरहाल वे चुनने वाले तो अपने इस अमल में गुनाहगार हैं कि उन्होंने यह ग़लत काम किया। यदि उन्होंने हक़ अदा नहीं किया तो उन्हें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। लेकिन जो नुमाइंदे, बल्कि ओहदेदारान को भी मैं शामिल करता हूँ, कि जब वे चयनित हो गए हैं और अमली और रूहानी हालत के वे मियार उनमें नहीं हैं जो होने चाहिए तो फिर अब वे इस्तिग़फ़ार करते हुए, अपनी हालतों में सकारात्मक परिवर्तन का वादा करते हुए और तक्रवा पर चलने की भरपूर कोशिश करते हुए, अपने आपको अमानत के अदा करने के योग्य बनाने की कोशिश करें और जब यह कोशिश होगी तो जहां अल्लाह तआला की रज़ा को हासिल कर रहे होंगे वहां हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मिशन में भी मददगार बन रहे होंगे और अपनी व्यावहारिक और आध्यात्मिक हालतों को भी बेहतर कर रहे होंगे।

जैसा कि मैंने कहा नुमाइंदगी एक वर्ष के लिए है और इस वर्ष में इंतेज़ामिया से सहयोग भी करना है और फ़ैसलों पर ख़ुद भी अमल करना है और करवाना भी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमेशा यह निगरानी करते रहें कि आपकी जमाअत में इस पर अमल हो रहा है या नहीं या किस हद तक अमल हो रहा है और इस के अनुसार अमल हो रहा है जिस तरह ख़लीफ़-ए-वक्रत ने फ़ैसल दिया था?

अतः इस तरह आपने ख़लीफ़-ए-वक्रत के मददगार बनना है। कई बार देखने में आता है कि जमाअतों में जा कर फ़ैसले ओहदेदारों की सुस्तियों का शिकार हो जाते हैं और जो फ़ैसले होते हैं उन पर अमल नहीं हो रहा होता। अतः ऐसी सूरत में नुमाइंदों का काम है कि सिर्फ

जमाअत के लोगों को ही तवज्जा नहीं दिलानी बल्कि ओहदेदारों को भी उनकी ज़िम्मेदारियों की तरफ़ तवज्जा दिलानी है और यदि फिर भी तवज्जा पैदा नहीं हो रही और इस तज्वीज़ पर इस तरह अमल नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए तो फिर मर्कज़ को लिखें। इसी तरह बहुत से ओहदेदार भी शूरा के मैंबर होते हैं। उनका सिर्फ़ यह काम नहीं है कि अपने विभाग के काम को देख लें बल्कि शूरा की तजावीज़ और उन पर ख़लीफ़-ए-वक्रत के फ़ैसले के आदेश का पालन न होने और अमल दर आमद न होने को भी उन्हें संजीदगी से लेना चाहिए। और चाहे उनका अपना विभाग है या किसी दूसरे का, संबंधित ओहदेदार और अमीर को तवज्जा दिलानी चाहिए और आमिला में भी यह मामला रखना चाहिए वना फिर ऐसे ओहदेदार भी और ऐसे नुमाइंदे भी अपनी अमानत का हक़ अदा नहीं कर रहे। इस दुनिया में तो कुछ बहाने बना कर बच जाएंगे लेकिन याद रखना चाहिए कि अल्लाह तआला से कोई बात छिपी हुई नहीं है और वह अमानतों के अदा करने के बारे में पूछेगा। अतः बहुत चिंता की बात है। इस बात पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए कि हम शूरा के नुमाइंदे हैं या ओहदेदार हैं बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी की हर एक को चिंता होनी चाहिए।

जैसा कि मैंने कहा यदि जमाअतों में ओहदेदारों को तवज्जा दिलाने पर भी शूरा के फ़ैसलों पर अमल नहीं हो रहा, नुमाइंदे कोशिश करते हैं और तवज्जा दिलाने पर वह फिर भी इस पर अमल नहीं करते तो मर्कज़ को सूचित करें। इस पर कुछ लोग अब भी अमल करते हैं। यह नहीं कि अमल नहीं हो रहा। कुछ लोग इस पर अमल करते हैं कि यदि ओहदेदार अमल नहीं कर रहे तो मर्कज़ को सूचित करते हैं

लेकिन सामान्य रूप से उस समय यह बात करते हैं जब किसी ओहदेदार से निजी मनमुटाव के आधार पर मतभेद उत्पन्न हो जाए। यह तरीक़ तक्रवा का तरीक़ नहीं है। यदि तक्रवा से काम लेते हुए हर नुमाइंदा और हर ओहदेदार शूरा की मंज़ूर शूदा तजावीज़ पर अमल करने और करवाने की कोशिश करे तो फिर कभी यह स्थिति उत्पन्न न हो कि वह तज्वीज़ दोबारा अगले साल या दो तीन साल बाद प्रस्तुत होने के लिए आ जाए।

दोबारा तज्वीज़ आने का मतलब ही यह है कि इस का या तो पूर्ण रूप से पालन नहीं हुआ या जिस तरह होना चाहिए था उस तरह नहीं हुआ।

अतः ऐसी जमाअतों और ओहदेदारों को सोचना चाहिए कि क्या यह तक्रवा पर चलने और अपनी अमानतों के हक़ अदा करने का अमल है? क्या यह ख़िलाफ़त से इताअत और वफ़ा के निभाने के अहद को पूरा करने का अमल है? देश के अंदर जो जमाअतें हैं वे अपने मर्कज़ को भी ऐसी तज्वीज़ें भेजती ही उस वक़्त हैं जब वे देखती हैं कि इन बातों पर अमल नहीं हो रहा। यदि अमल हो रहा हो और हर सतह पर हर जमाअत की निगरानी हो रही हो कि किस हद तक अमल हो रहा है तो तज्वीज़ें दोबारा आएंगी ही न और न मुल्की मर्कज़ को इन तज्वीज़ों को ख़लीफ़-ए-वक़्त के पास इस सिफ़ारिश के साथ भेजने की ज़रूरत पड़े कि क्योंकि यह एक साल पहले या दो साल पहले प्रस्तुत हो चुकी है इसलिए उसको शूरा में पेश करने की सिफ़ारिश नहीं की जाती। यह जवाब लिखते हुए मुल्की मर्कज़ी निज़ाम को शर्मिंदगी का इज़हार करते हुए लिखना चाहिए कि हम शर्मिंदा हैं कि हम इस पर अमल नहीं करवा सके।

अब इस साल हम इस पर अमल करेंगे। अगर अमल न करवाएं तो हम मुजरिम होंगे और उन लोगों में शामिल होंगे जो अपनी अमानतों का हक़ अदा नहीं कर रहे। इसलिए यह तहरीर उनको लिखनी चाहिए और फिर लिखें कि अतः अत्यंत विनम्रता के साथ हम माफ़ी मांगते हुए इस तज्वीज़ को इस साल पेश न करने की सिफ़ारिश करते हैं। जब इस तरह करेंगे तो ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा होगा। कम से कम इस से इंतेज़ामिया और नुमाइंदों को यह एहसास तो होगा कि वह बड़े-बड़े लाहे अमल बना कर ख़लीफ़-ए-वक़्त को पेश करते हैं कि हम यह कर देंगे और वह कर देंगे और फिर इस पर अमल नहीं करते तो वे मुजरिम हैं और ख़लीफ़-ए-वक़्त के विश्वास को ठेस पहुंचाने वाले हैं। अतः इसके अनुसार जहां सामूहिक तौर पर मुहासिबा हो वहां व्यक्तिगत तौर पर भी ओहदेदार और शूरा का नुमाइंदा अपना मुहासिबा करे और इस्तिग़फ़ार करे और फिर इस पर अमल दर आमद न करने के कारण भी हर स्तर पर जानने की कोशिश की जाए। अतः यह जायज़े ही हैं जो जमाअती निज़ाम को सही रास्ते पर चला सकते हैं अन्यथा मौखिक बातें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकतीं। देशों में जायज़े लेने की भी ज़रूरत है कुछ active जमाअतें यदि सौ फ़ीसद नहीं तो सत्तर अस्सी फ़ीसद तज्वीज़ों पर अमल कर लेती हैं और एक लगन के साथ करती हैं कि ख़लीफ़-ए-वक़्त की मंजूरी से यह लाहे अमल हमें मिला है और हमने ख़लीफ़-ए-वक़्त के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचानी तो उनमें वह क्या जज़बा है? यह मालूम करना चाहिए कि क्या जज़बा है जिसके कारण इस जमाअत के लोगों में यह इन्क़लाब है। ऐसी सक्रिय जमाअतों के ओहदेदारों की कमज़ोर जमाअतों के ओहदेदारों के

साथ मीटिंग करवाई जाए बल्कि मर्कज़ी ओहदेदारों से भी मीटिंग करवाई जाए और उनके अनुभवों से लाभ प्राप्त किया जाए।

यदि किसी जगह एक जमाअत भी सक्रिय और अपने अमली और रूहानी प्रोग्रामों में भरपूर अमल करने वाली है तो दस दूसरी जमाअतों को अपने तरीका-ए-कार को शेयर करने से फ़ायदा पहुंचा सकती है लेकिन बात वही है कि यदि मर्कज़ी निज़ाम में हर सैक्रेट्री और ओहदेदार और शूरा के नुमाइंदे अपना किरदार ईमानदारी से अदा करने वाले हों तभी यह होगा।

कुछ जमाअतों या देशों ने यह जायज़ा भी लिया है और इस का फ़ायदा हुआ है कि पिछले तीन साल में जितने भी शूरा के फ़ैसले हुए हैं उन पर किस सीमा तक पालन हुआ है और हो रहा है और फिर वह उसकी तीन महीने की जायज़ा रिपोर्ट मर्कज़ में भिजवाते हैं। उनमें यह एहसास है कि हमने सिर्फ़ यह कह कर नहीं बैठ जाना कि यह तज्वीज़ दो साल पहले पेश हो चुकी है इसलिए पेश नहीं होगी बल्कि मर्कज़ को ये रिपोर्ट देनी है कि हमने इस लाहे अमल पर अमल करके इस हद तक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है और अधिक कोशिश जारी है। इस से ऐसी जमाअतों में फिर ज़िम्मेदारी का एहसास बढ़ा है। सिर्फ़ बातों से हम दुनिया जीत नहीं सकते इसके लिए अमल की ज़रूरत है।

जहां ठोस योजना बनाने की ज़रूरत है वहां अमली (व्यवहारिक रूप से) कोशिश की भी ज़रूरत है, अपनी इबादतों के मयार हासिल करने की ज़रूरत है।

यदि ओहदेदार और शूरा के नुमाइंदे अपनी इबादतों के मयार बेहतर करने की तरफ़ तवज्जा करें और मस्जिदों को आबाद करने के

लिए अपने व्यावहारिक आदर्श दिखाएंगे तो मस्जिदों की आबादी भी तीन-चार गुना बढ़ सकती है। इस के भी जायजे हमें लेने चाहिए।

अतः अपने व्यावहारिक आदर्श, लोगों से प्यार मुहब्बत का संबंध, उनका दर्द दिल में रखना, उनके लिए भी और अपने लिए भी दुआ करना, खलीफ़-ए-वक़्त की इताअत के मयार को बुलंद करना हर ओहदेदार और शूरा के हर मैंबर की ख़ास विशेषता होगी तो तभी हम जमाअत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न होता देखेंगे।

एक बहुत बड़ा काम हमारे सपुर्द है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आने का उद्देश्य और आप का मिशन कोई मामूली काम नहीं है। दुनिया में इस्लाम का सुंदर संदेश पहुंचा कर दुनिया को एक ख़ुदा की उपासना करने वाला बनाना निरंतर कोशिश चाहता है।

दुनिया में, समस्त देशों में शूरा इसलिए आयोजित की जाती है कि जहां हम अपनी अमली हालतों को दरुस्त करने के लिए योजना बनाएँ वहां एक ख़ुदा का संदेश पहुंचाने के लिए और दुनिया को एक उम्मत बनाने के लिए, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे लाने के लिए ऐसी योजना बनाएँ जो एक क्रांति उत्पन्न करने वाली हो।

हमेशा याद रखें कि इस सारे काम को अंजाम देने के लिए खर्चों की भी ज़रूरत है, धन की भी ज़रूरत है। इसलिए अपने माली बजट को भी इस तरह बनाएँ कि कम से कम खर्च में हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हों। जमाअत की अधिकांश संख्या ग़रीब और औसत श्रेणी के लोगों की है। इसलिए हमारे चंदों की आमद की ऐसी अच्छी योजना बनानी चाहिए जिससे हम कम से कम खर्च

में ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रचार और तब्लीग़ के काम कर सकें और यह काम हम इसी अवस्था में कर सकेंगे जब हम इस वास्तविकता को समझने वाले बन जाएं कि हमने तक्वा पर चलते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों और अमानतों को अदा करना है और ख़िदमत-ए-दीन को एक फ़ज़ल-ए-इलाही समझना है। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तक्वा पर चलने की नसीहत करते हुए एक जगह फ़रमाते हैं कि

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ
عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ (अल् अन्फ़ाल : 30)

फिर फ़रमाया :

وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا مِّنْ نُورِهِ (अल् हदीद : 29)

अर्थात हे वे लोगो जो ईमान लाए हो! यदि तुम अल्लाह से डरो तो वह तुम्हारे लिए एक विशेष चिन्ह बना देगा और तुम से तुम्हारी बुराइयाँ दूर कर देगा..... और तुम्हें एक नूर प्रदान करेगा जिसके साथ तुम चलोगे। अर्थात वह नूर तुम्हारी समस्त करनी तथा कथनी और शक्तियों और ज्ञानेन्द्रियों में आ जाएगा। तुम्हारी अक़ल में भी नूर होगा और तुम्हारी एक अटकल की बात में भी नूर होगा और तुम्हारी आँखों में भी नूर होगा और तुम्हारे कानों और तुम्हारी ज़बानों और तुम्हारे बयानों और तुम्हारी हर एक हरकत और सुकून में नूर होगा और जिन राहों में तुम चलोगे वह राहें नूरानी हो जाएँगी। अतः जितनी तुम्हारी राहें तुम्हारे शक्तियों की राहें तुम्हारे ज्ञानेन्द्रियों की राहें हैं वह सब नूर से भर जाएँगी और तुम सरापा नूर में ही चलोगे।"

(आईना कमालात-ए-इस्लाम, रूहानी ख़ज़ाइन, भाग 5 पृष्ठ 177-178)

अल्लाह तआला हम सबको तक्रवा पर चलते हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तआला हमारी ग़लतियों, सुस्तियों और कमज़ोरियों की पर्दापोशी करते हुए अपने फ़ज़ल से हमें हमेशा नवाज़ता चला जाये। (दैनिक अलफ़ज़ल इंटरनेशनल 2 जून 2023 ई० पृष्ठ 2 से 7)



وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(सूरह शूरा : 42/39)

अनुवाद: और जो लोग अपने रब की सुनते हैं, और नमाज़ अदा करते हैं, और जिनके मामले आपसी परामर्श से तय होते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें प्रदान किया है उसमें से वे खर्च करते हैं।